districts and panchayats are involved and some complaints about diversion of resources due to problem of ways and means of the State Government are received in the Ministry from time to time. Whenever the complaints are received, the matter is taken up with the State Government and the funds are recouped in the programme funds.

Poor Maintenance of Operation Theatres in the Hospitals of Delhi

1864. SHRI K.M. KHAN:
SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether certain Government Hospitals in Delhi have been directed to pay compensation of Rs. 1 lakh to the family of patients died due to poor maintenance of operation theatres;

(b) if so, the details thereof with names of such hospitals;

(c) whether directives have since been complied with;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government have taken steps to prevent occurrence of similar deaths in future in all hospitals of Delhi; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) and (b) The District Judge, Delhi has directed Dr. RML Hospital New Delhi to pay a compensation of Rs. 1.00 lakh for death of a patient due to poor maintenance of operation theatre as per newspaper reports.

(c) and (d) Action on the directives of the Court will be taken after receipt of the certified copy of the judgement in the Dr. RML Hospital.

(e) and (f) In Central Government hospitals, regular surveillance of all operation theatres is done routinely and monitoring pathogenic bacterial population is done. Emphasis is laid on aseptic techniques, aseptic precautions, personal hygiene, proper disposal of hospital waste in a scientific manner.

एम० बी० बी० एस० प्रवेश परीक्षाओं हेतु हिन्दी माध्यम का विकल्प

1865. श्री सोमपाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में हिन्दी माध्यम से उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रावधान कब से विद्यमान है और तब से आज तक कितनी परीक्षाएं इस सुविधा के तहत ली गई हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधा अखिल भारतीय प्री-मेडिकल और प्री-डेन्टल प्रवेश परीक्षाओं में भी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष बैठने वाले, उत्तीर्ण होने वाले और प्रवेश पा सकने वाले विद्यार्थियों की अलग-अलग संख्या क्या रही है; और

(ङ) उन आयुर्विज्ञान संस्थानों, विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां चिकित्सा पाठ्यक्रम परीक्षाओं में हिन्दी सहित किसी अन्य भारतीय भाषा में उत्तर देने की सुविधा उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रावधान 1992 से है और इस सुविधा के साथ 4 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड जो इस परीक्षा का आयोजन करता है, के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

नीम हकीमों की संख्या में वृद्धि

1866. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कार्य कर रहे नीम हकीमों (अयोग्य चिकित्सकों) की बढ़ती हुई संख्या से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितने नीम हकीमों (अयोग्य चिकित्सकों) के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है; और

(ग) उनकी संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले): (क) सरकार को नीम हकीमों (अयोग्य चिकित्सकों) की बढ़ती हुई संख्या के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 में पहले से ही इस आशय का दाण्डिक प्रावधान है कि राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित चिकित्सा व्यवसायी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा प्रैक्टिस नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह एक अवधि के लिए कैद जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना जिसे 1,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों की सजा का पात्र होगा। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे अयोग्य चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिस को रोकने के लिए दाण्डिक प्रावधान का अवलंब लें।

Conversion of rail line between Ernakulam to Thiruvananthapuram

1867. SHRI JOY NADUKKARA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to double the railway line from Ernakulam to Thiruvananthapuram via Kottayam;

(b) if so, what is the present position thereof;

(c) what are the obstacles delaying the execution of the work; and

(d) by when it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a), (b) and (d) There is no proposal for doubling the entire railway line from Ernakulam to Kayankulam via Kottayam. However, between Ernakulam to Thiruvanathapuram, two lines which serve the purpose of doubling are available between Ernakulam and Kayankulam one via Alleppy and second via Kottayam. From Kayankulam to Quilon, doubling work is in progress and would be completed in 1995-96. From Quilon to Thiruvananthapuram doubling has been taken up and will be completed in three years.

(c) The slow pace of land acquisition by the State Government.

Survey of Khurda-Bolangir line in Orissa

1868. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the survey work of Khurda Road Bolangir line in Orissa has been started;

(b) if so, the progress as on date;

(c) the date by which the survey would be completed; and

(d) the steps taken to expedite the survey work?